

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या -1/2014/जयपुर

मैसर्स खण्डाका के.पी.पी.जैन ज्वैलर्स,
दुकान नं.-217, जौहरी बाजार, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

- (i) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-षष्ठ्म, वृत्त-एच, जयपुर।
(ii)उपायुक्त (प्रशासन-द्वितीय), जयपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री आर.सी.अग्रवाल,
अभिभाषक।
श्री एन.के.बैद,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से.
निर्णय दिनांक :09.06.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी ने यह अपील उपायुक्त, (प्रशासन-द्वितीय) वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत प्रस्तुत की है, जो प्रकरण क्रमांक प.5()कर/उपा/प्रशा-II 2011-12/2259 दिनांक 26.11.2012 के संबंध में हैं तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा-34 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र को "सक्षम अधिकारी" द्वारा अस्वीकार करने को विवादित किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्त-जी, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24(4) के तहत अपीलार्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 2009-10 का एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.02.2012, पारित कर, मांग राशि ₹1,49,200/- सृजित की गयी थी, के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी संख्या-2 "सक्षम अधिकारी" के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी "सक्षम अधिकारी" द्वारा सुनवायी कर, आदेश दिनांक 26.11.2012 के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जिसे इस अपील के द्वारा चुनौती दी गयी है।
3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. इस संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी हेतु नोटिस जारी किये बिना ही घोषित संव्यवहार में वृद्धि कर, करारोपण कर, एकपक्षीय निर्धारण आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत

लगातार.....2

अपील संख्या -1 / 2014 / जयपुर

एवम् उचित नहीं है। अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांत 17 एस.टी.सी. 465, 30 एस.टी.सी. 342, 39 एस.टी.सी. 478 को प्रोद्धरित कर, न्याय हित में सुनवायी का अवसर प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी ताकि इस संबंध में सुनवायी की जाकर, विधिसम्मत एवम् सही निर्धारण आदेश पारित किये जा सके। तदनुसार, सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना कर, प्रकरण को संबंधित निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया गया।

5. विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि के निर्धारण हेतु विधिक रूप से अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत नोटिस जारी किये गये थे। कथन किया कि इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी से जरिये पत्रांक 2227 दिनांक 07.11.2012 के प्रत्यर्थी से जांच रिपोर्ट चाही गयी थी जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 21.1.2012 को सक्षम अधिकारी को प्रेषित की गयी। कथन किया कि उक्त जांच रिपोर्ट व रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध तामिलशुदा नोटिस के आधार पर उचित एवम् विधिक रूप से निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित एकपक्षीय निर्धारण आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है। अतः उक्त तथ्यात्मक स्थिति के मद्देनज़र ही “सक्षम अधिकारी” द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है जो कि पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। अतः न्याय हित में एक और मौका प्रदान करने का कोई विधिक औचित्य नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत उद्घरणों में स्पष्ट किया है कि सर्वोत्तम कर निर्धारण करने से पूर्व व्यवहारी को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाना अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में, बाध्यकारी है विशेषतः कर निर्धारण में समुचित तथ्यों के आधार पर ही दायित्व बढ़ाया जा सकता है। दायित्व बढ़ाने पर सुनवायी का अवसर दिये जाने के नैसिर्गिक पक्ष से कर्तव्य इंकार नहीं किया जा सकता है परन्तु हस्तगत प्रकरण में यह बिन्दु विवादित नहीं है। उक्त अपील सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत

अपील संख्या -1/2014/जयपुर

पारित आदेश के विरुद्ध है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 34 के प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

अधिनियम की धारा 34.—Reopening of *ex parte* assessment. — (1)

Where an assessment has been made *ex parte* under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27, the Deputy Commissioner (Administration) may, on the application of the dealer made within thirty days of the date of service of the notice of demand in consequence of such assessment along with such fee as may be prescribed, by an order direct the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner as the case may be, to cancel the assessment and proceed to make a fresh assessment in accordance with the provisions of law.

(2) Before issuing direction under sub-section (1), the Deputy Commissioner (Administration) should be satisfied that the applicant dealer did not receive notice or summons issued to him under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27 or that he was prevented by sufficient cause from complying with any notice or summons issued to him for assessment.

(3) Where the order for cancellation of the assessment under sub-section (1) has been passed, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner as the case may be, shall make fresh assessment within sixty days from the communication of the order passed by the Deputy Commissioner (Administration) under sub-section (1).

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानानुसार दो बिन्दु निर्णयक हैं जिनके आधार पर पारित कर निर्धारण आदेश को पुनः खोला जा सकता है—(i) उपर्युक्त वर्णित धाराओं में पारित निर्धारण आदेश हेतु व्यवहारी को सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है अथवा (ii) सूचना पत्र प्राप्त तो हो गया हो परन्तु सूचना पत्र की पालना न करने के समुचित कारण विद्यमान हों। उक्त प्रावधानों के प्रकाश में, रिकॉर्ड पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2009–10 के संबंध में निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व विधिक रूप से सुनवायी हेतु नोटिसेज दिनांक 20.12.2011 व 28.01.2012 के लिये जारी किये गये हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह आपत्ति उठायी गयी थी कि जारी नोटिसेज अपीलार्थी

1/2

लगातार.....4

अपील संख्या -1/2014/जयपुर

व्यवहारी/व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों को तामिल नहीं करवाये गये हैं, अतः जारी नोटिसेज को अपीलार्थी व्यवहारी को तामिलशुदा नहीं माना जा सकता। उक्त आपत्ति के मद्देनज़र सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 26.11.2012 पारित करने से पूर्व प्रत्यर्थी से जरिये पत्रांक 2227 दिनांक 07.11.2012 के तामिलशुदा नोटिसेज के संबंध में प्रत्यर्थी से जांच रिपोर्ट चाही गयी थी जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 21.1.2012 को सक्षम अधिकारी को प्रेषित की गयी। उक्त जांच रिपोर्ट एवम् रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध तामिलशुदा नोटिसेज के आलोक में, सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक रूप से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय न्यायालयों के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों को सम्मान व्यक्त कर, हस्तगत प्रकरण से भिन्न तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


9-6-2016
(मदन लाल)
सदस्य